न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 38/2024

जी.सी.एम.एस. : 2024/378

अपीलान्ट

1. मगराज पुत्र दीपचंदजी कातरेला, जाति ओसवाल, निवासी सोजत सिटी, भागीदार फर्म श्री कुशल कृषि फर्म सोजत, जिला पाली के कायम मुकाम

1.1 पुष्पा बाई पत्नी स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.2 सुरेश कुमार पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.3 पोपटलाल पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.4 अशोक पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.5 दिनेश पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी शाह दीपचंद किसनाजी 186, गुलालवाडी कीका स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.6 गौतम पुत्र स्व. मगराज ओसवाल जैन निवासी

बनाम

रेस्पोडेन्ट

1. हस्तीमल पुत्र पन्नालाल कटारिया, जाति ओसवाल, निवासी सोजत, जिला पाली हाल निवासी c/o B.R. Metal Corporation 38 A 2nd Bhoiwada (Bhuleshwar) Mumbai 2 Maharastra
2. बाबुलाल पुत्र दीपचंद कातरेला के वारिसान

2.1 रमेश कुमार पुत्र बाबुलाल ओसवाल

2.2 रंजीत कुमार पुत्र बाबुलाल ओसवाल

2.3 महावीरचंद पुत्र बाबुलाल ओसवाल

2.4 कुशलराज पुत्र बाबुलाल ओसवाल

2.5 दिनेश कुमार पुत्र बाबुलाल के वारिसान

2.5.1 एकता जैन पत्नी दिनेश कुमार ओसवाल

2.5.2 शांतनु पुत्र दिनेश कुमार ओसवाल

निवासीगण सोजत हाल निवासी c/o Shah Babulal Deepchand 35/37, Bapu Khote X-Lane Shop No-4 Pydunie Mumbai-2 (Maharastra)

3. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, सोजत जिला पाली राजस्थान
4. नगरपालिका, सोजत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

शाह दीपचंद किसनाजी
186, गुलालवाडी कीका
स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.7 शीला पुत्री स्व. मगराज
ओसवाल जैन निवासी
शाह दीपचंद किसनाजी
186, गुलालवाडी कीका
स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.8 मंजु .पुत्री स्व. मगराज
ओसवाल जैन निवासी
शाह दीपचंद किसनाजी
186, गुलालवाडी कीका
स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

1.9 आशा पुत्री स्व. मगराज
ओसवाल जैन निवासी
शाह दीपचंद किसनाजी
186, गुलालवाडी कीका
स्ट्रीट मुम्बई (महाराष्ट्र)

"अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक अरोड़ा।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 2.1 से 2.5.2 की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे, श्री सुनील दवे।
3. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 20/02/2025

न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली के प्रकरण संख्या 505/2024 बअनवान मगराज के कायम मुकाम पुष्पा बाई वगैरह बनाम हस्तीमल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 की पालना में अपील दर्ज रजिस्टर होकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बावजूद सम्मन तामीली वक्त बहस असालतन/वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित होने से उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि हस्तगत प्रकरण से सम्बन्धित नामान्तरकरण अपील न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.03.2024 को खारिज की गयी थी तथा न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली ने प्रकरण संख्या 505/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय हाजा के निर्णय को खारिज करते हुये पार्टनरशीप डीड दिनांक 08.12.1988 पर विवेचन करते हुये अपीलाण्ट को साक्ष्य,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के निर्देशों के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया है। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 की एक भागीदारी फर्म श्री कुशल कृषि फर्म का गठन दिनांक 30.09.1986 को किया गया। जिसमें अपीलाण्ट का 2/5 हिस्सा, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 का 1/5 एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का 2/5 हिस्सा है। मौजा सोजत चक नम्बर 2 में खसरा संख्या 3218 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 3219 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा संख्या 3220 रकबा 2.0000 हैक्टर, खसरा संख्या 3221 रकबा 2.4700 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3227 रकबा 3.4800 की कृषि भूमि श्री कुशल कृषि फर्म के नाम से मगराज, बाबुलाल तथा हस्तीमल द्वारा खरीद की गयी। पार्टनरशीप डीड दिनांक 07.10.1986 के अनुसार श्री कुशल कृषि फार्म में अपीलाण्ट मगराज का 2/5 हिस्सा, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हस्तीमल का 1/5 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल का 2/5 हिस्सा है। पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 03.10.1986, 06.10.1986 तथा 08.10.1986 के द्वारा श्री कुशल कृषि फार्म के नाम जैर आराजी क्रय की गयी। डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल श्री कुशल कृषि फर्म से सेवानिवृत हो गये है एवं अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 सक्रिय भागीदार है, इसके साथ ही उक्त डीड के द्वारा श्री कुशल कृषि फर्म में अपीलाण्ट मगराज का 65 प्रतिशत हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सख्या 01 का 35 प्रतिशत हिस्सा है एवं सेवानिवृत भागीदार बाबुलाल ने इस डीड के साथ ही फर्म के सम्बन्ध में सभी अधिकार, हक और हित त्याग दिये है। इसके अतिरिक्त डीड ऑफ रिटायरमेन्ट कम एडमीशन दिनांक 10.10.1988 के द्वारा बाबुलाल व उनके पुत्र रमेश शाह दीपचन्द किशनाजी एण्ड कम्पनी से तथा बाबुलाल की पत्नी कमलाबेन मै. बी.आर. मेटल कारर्पोशन से रिटायर हो गये थे। श्री कुशल कृषि फार्म से बाबूलाल के रिटायर होने के उपरान्त उक्त डीड के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद नहीं हो पाया तथा दिनांक 24.04.1999 को बाबूलाल का देहान्त हो गया, जिसकी पालना में विवादग्रस्त फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 पारित किया गया। जैर नामान्तरकरण पारित करने से पूर्व हमें सनुवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया तथा बाबुलाल रिटायर होने के उपरान्त जैर आराजी की फर्म में उक्त नामान्तरकरण विधिविरूद्ध तरीके से पारित किया गया। जैर अपील में रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब में बताया कि नामान्तरकरण पूर्ण साक्ष्य लेने के पश्चात भरा गया जबकि हमें सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया। उक्त नामान्तरकरण के पश्चात दिनांक 18.04.2012 को किये गये बंटवाडे का कोई महत्व नहीं है। साथ ही रेस्पोडेण्ट ने अपने जवाब में भी यह स्वीकार किया है कि पार्टनरशीप डीड लिखी गयी थी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त CIVIL APPEAL NO (S). 6141 OF 2021 KORUKONDA CHALAPATHI RAO & ANR. VS KORUKONDA ANNAPURNA SAMPATH KUMAR पेश किया। अतः जैर नामान्तरकरण तथ्य व विधिविरूद्ध पारित हुआ है इसलिये अपीलाण्ट की अपील स्वीकार फरमावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि जैर आराजी श्री कुशल कृषि फार्म से सम्बन्धित है जबकि अपीलाण्ट द्वारा व्यक्तिगत तौर से जैर अपील पेश की गयी है। पार्टनरशीप डीड दिनांक 07.10.1986 के अनुसार श्री कुशल कृषि फार्म में

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अपीलाण्ट मगराज का 2/5 हिस्सा, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हस्तीमल का 1/5 हिस्सा एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल का 2/5 हिस्सा है, जो कि एक पंजीबद्ध पार्टनरशीप डीड है जबकि डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 पंजीबद्ध नहीं है इसलिये अपंजीबद्ध डीड के अनुसार हक हिस्सा तय नहीं हो सकते है। साथ ही अपीलाण्ट ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 30.07.2019 को अपीलण्ट को धमकी दी जाने पर जैर नामान्तरकरण की जानकारी हुई जबकि नामान्तरकरण दिनांक 18.01.2012 को इन्द्राज किया गया व उसके कुछ समय बाद दिनांक 18.04.2012 को मगराज व अन्य खातेदारों ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर बंटवाडे पर हस्ताक्षर किये जिससे यह जाहिर होता है कि आपको जैर नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व में ही हो गयी थी, इसके अतिरिक्त यदि आपको पार्टनरशीप डीड दिनांक 08.12.1988 की जानकारी थी तो आपने बंटवाडे पर हस्ताक्षर क्यों किये ? इसके पश्चात नामान्तरकरण 2769 स्वीकृत कर सभी के हिस्से की तरमीम की गयी एवं कब्जा सुपूर्द कर दिया तो आपको 2019 में धमकी किसने दी ? आपको जैर नामान्तरकरण की सम्पूर्ण जानकारी थी, उसके उपरान्त भी 07 वर्ष देरी से जैर अपील प्रस्तुत की गयी, जो कि म्याद बाहर है। रिटायर होने वाले भागीदार के हिस्से का मुआवजा दिया गया अथवा नहीं ? यह कही भी स्पष्ट नहीं है। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त CIVIL APPEAL NO. 2741 OF 2009 USHA GOPIRATHNAM & ORS. VS P.S.RANGANATHAN (D) THR. LRs. & ORS., माननीय उच्च न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त 2007(3) DNJ (Raj.) 1544 Prem Bai (Mst.) vs Kela Ram & Ors., RSA No. 2922 of 2017 VINOD KRISHAN KHANNA AND OTHERS VS SIRI KRISHAN KHANNA (SINCE DECEASED) THROUGH LRS AND OTHERS, WP.No. 17054 of 2021 Nirmala A Jhabakh Ors. vs The District Registrar ors. पेश किये। इसलिये जैर नामान्तरकरण विधिसम्मत होने से जैर अपील खारिज फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों की पालना करते हुए जैर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है। अतः जैर अपील नामान्तरकरण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली के निर्णय दिनांक 24.10.2024 एवं समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली ने प्रकरण संख्या 505/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 के द्वारा हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 14.03.2024 को अपास्त करते हुये पार्टनरशीप डीड दिनांक 08.12.1988 पर विवेचन कर अपीलाण्ट को साक्ष्य, सबूत पेश करने का पर्याप्त अवसर देने के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। यह अपील ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 2727 पर तहसीलदार सोजत द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 18.01.2012 के विरूद्ध पेश की गयी है। उभयपक्ष अधिवक्ता ने दौराने बहस यह स्वीकार

अति. जिला कलेक्टर, पाली

किया कि पंजीबद्ध बेचाणनामा दिनांक 03.10.1986 के द्वारा मौजा सोजत चक नम्बर 02 में खसरा संख्या 3218 रकबा 0.0500 हैक्टर, खसरा संख्या 3219 रकबा 0.4000 हैक्टर, खसरा संख्या 3220 रकबा 2.0000 हैक्टर, खसरा संख्या 3221 रकबा 2.4700 हैक्टर एवं खसरा संख्या 3227 रकबा 3.4800 की कृषि भूमि मगराज, बाबूलाल एवं हस्तीमल ने श्री कुशल कृषि फार्म सोजत के नाम से खरीद की थी। अपीलाण्ट के पूर्वज मगराज, रेस्पोडेण्ट संख्या 1 हस्तीमल और रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबूलाल ने दिनांक 07.10.1986 को एक पार्टनरशीप डीड लिखी, जो उप पंजीयन कार्यालय, सोजत में पंजीबद्ध है। जिसमें श्री कुशल कृषि फार्म का गठन दिनांक 30.09.1986 को होना बताया एवं उक्त फर्म में मगराज का 2/5 हिस्सा, बाबूलाला का 2/5 हिस्सा एवं हस्तीमल का 1/5 हिस्सा अंकित किया तथा इसी पार्टनरशीप डीड के अनुसार श्री कुशल कृषि फार्म में उभयपक्ष का हिस्सा राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने दौराने बहस यह जाहिर किया कि डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल ने श्री कुशल कृषि फर्म से रिटायर होकर फर्म से सम्बन्धित सभी अधिकार, हक और हित त्याग दिये है एवं वर्तमान में श्री कुशल कृषि फर्म में अपीलाण्ट मगराज का 65 प्रतिशत हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सख्या 01 का 35 प्रतिशत हिस्सा है, जिसकी जानकारी बाबूलाल के वारिसानों को भली भाँति थी परन्तु उक्त डीड के अनुरूप राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज नहीं होने से इसका दुरूपयोग करते हुये बाबुलाल के देहान्त के पश्चात उनके वारिसानों ने जैर आराजी में वादग्रस्त फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2727 स्वीकृत करवाया। अधिवक्ता अपीलाण्ट के इस उज्र का विरोध करते हुये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि जैर नामान्तरकरण दिनांक 18.01.2012 को स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण स्वीकृती के कुछ समय पश्चात् मगराज, बाबुलाल के वारिसान एवं हस्तीमल ने संयुक्त हस्ताक्षर का प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष पेश कर आपसी बंटवाडे तस्दीक करवाया, जिसकी पालना में नामान्तरकरण संख्या 2769 पारित किया गया। यदि अपीलाण्ट को यह ज्ञात था कि डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 के द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल श्री कुशल कृषि फर्म से रिटायर हो चुके है तो उनकों उक्त बंटवाडा में सहमति न देकर विरोध प्रदर्शित करना था, जो कि उनके द्वारा नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री कुशल कृषि फार्म के भागीदारों के मध्य डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 लिखी गयी, जो कि एक अपंजीबद्ध दस्तावेज है, परन्तु तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत आपसी बंटवाडे में उभयपक्ष की सहमति थी तथा इसमें भी विचारणीय बिन्दु यह है आपसी बंटवाडा से सम्बन्धित 100/– रूपये का स्टाम्प भी स्वयं अपीलाण्ट द्वारा खरीद किया गया था, जिससे भी यह जाहिर होता है कि अपीलाण्ट को जैर नामान्तरकरण की सुस्पष्ट जानकारी होने एवं उक्त नामान्तरकरणं के उचित होने के उपरान्त आपसी सहमति से फर्म की आराजी का बंटवाडा कर मौके पर काबिज हुये। उक्त आपसी सहमति विभाजन में अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 को सह खातेदार मानते हुए भूमि का विभाजन किया गया है। इसके पश्चात उक्त

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण अपील के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को उक्त भूमि का खातेदार न. मानना theory of estoppel के विपरित है तथा अपीलाण्ट इससे बाध्य भी है।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त, पाली ने प्रकरण संख्या 505/2024 में पारित निर्णय दिनांक 24.10.2024 के द्वारा हस्तगत प्रकरण में पार्टनरशीप डीड दिनांक 08.12.1988 पर विवेचन के निर्देशों के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह रहा कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 बाबुलाल ने डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 के द्वारा श्री कुशल कृषि फर्म से रिटायर हो गये है और फर्म में अपीलाण्ट मगराज का 65 प्रतिशत हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सख्या 01 का 35 प्रतिशत हिस्सा है। यह एक पारिवारिक समझौता था, जो कि फर्म के भागीदारों के मध्य ही था, इसलिये इसमें निष्पादित किसी दस्तावेज को पंजीबद्ध करवाया जाना आवश्यक नहीं है। अतः उक्त डीड ऑफ पार्टनरशीप पंजीबद्ध नहीं होने से इसे शून्य नहीं माना जा सकता इसके समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय का न्यायिक दृष्टान्त CIVIL APPEAL NO (S). 6141 OF 2021 KORUKONDA CHALAPATHI RAO & ANR. VS KORUKONDA ANNAPURNA SAMPATH KUMAR पेश किया जिसके अनुसार A document in the nature of a memorandum, evidencing a family arrangement already entered into and had been prepared as a record of what had been agreed upon, in order that there are no hazy notions in future, it need not be stamped or registered.

अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का खण्डन करते हुये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने कथन किया कि यदि पूर्व की कोई पार्टनरशीप डीड एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है तथा उसके पश्चात् यदि कोई अन्य पार्टनरशीप डीड निष्पादित की जाती है, तो उसको रजिस्टर्ड करवाया जाना आवश्यक है एवं रजिस्टर्ड नहीं करवाये जाने की दशा में उक्त डीड का कोई तार्किक अर्थ नहीं रह जाता है। जिसके समर्थन में अधिवक्ता अपीलाण्ट ने भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 60 से 63 में वर्णित प्रावधानों का सहारा लिया। अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने यह भी कथन किया कि यदि बाबुलाल फर्म से रिटायर हो गये है, तो भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 37 के अनुसार उन्हें मुआवजा अथवा 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया अथवा नहीं ? यह कही भी स्पष्ट नहीं है। उन्होनें अपने अभिकथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2007(3) DNJ (Raj.) 1544 Prem Bai (Mst.) vs Kela Ram & Ors तथा RSA No. 2922 of 2017 VINOD KRISHAN KHANNA AND OTHERS VS SIRI KRISHAN KHANNA (SINCE DECEASED) THROUGH LRS AND OTHERS पेश किया।

उभयपक्ष के कथनों के विवेचन तथा डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त डीड एक अपंजीबद्ध दस्तावेज है, जिसके सम्बन्ध में भागीदार अधिनियम, 1932 की धारा 60 से 63 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि फर्म का पंजीकरण होने के पश्चात् यदि निम्नलिखित के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन होता है, तो इस परिवर्तन की लिखित सूचना शुल्क सहित रजिस्ट्रार के पास अवश्य भेजनी चाहिए :

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

1. जब पंजीकृत फर्म के नाम में अथवा कारोबार के प्रमुख स्थान में परिवर्तन किया जावे।
2. जब पंजीकृत फर्म का कारोबार एक स्थान पर बन्द करके दूसरे नये स्थान पर प्रारम्भ किया जावे।
3. जब फर्म के किसी साझेदार ने अपने नाम या स्थायी पते में परिवर्तन किया हो।
4. जब फर्म की संरचना या गठन में परिवर्तन किया गया हो, जैसे किसी साझेदार की मत्यु या नये साझेदार का प्रवेश।
5. जब अवयस्क साझेदार वयस्क होने पर फर्म में साझेदार के रूप में रहने या न रहने का निश्चय करे।
6. फर्म की समाप्ति पर।

श्री कुशल कृषि फर्म का गठन दिनांक 30.09.1986 को किया गया, जिसके भागीदार मगराज, बाबुलाल तथा हस्तीमल का हिस्सा पार्टनरशीप डीड दिनांक 07.10.1986 के द्वारा निर्धारित किया गया, जो कि उप पंजीयन कार्यालय सोजत से पंजीबद्ध दस्तावेज है। उसके पश्चात् डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 में बाबुलाल के रिटायर होने एवं फर्म में अपीलाण्ट मगराज का 65 प्रतिशत हिस्सा व रेस्पोडेण्ट सख्या 01 का 35 प्रतिशत हिस्सा वर्णित किया गया, परन्तु उक्त डीड पंजीबद्ध नहीं है जो कि भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 60 से 63 में वर्णित प्रावधानों का उल्लघंन है।

साथ ही भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 37 के अनुसार जब निवृत्त होने वाले साझेदार के हिसाब–किताब का निपटारा किये बिना सह–साझेदार फर्म की सम्पति से कारोबार चलाते रहते है तो विपरीत अनुबन्ध के अभाव में उसे निम्न अधिकारी प्राप्त होगे– (a) वह फर्म के लाभों में से हिस्सा प्राप्त कर सकता है, या (b) वह फर्म की सम्पत्ति में अपने हिस्से पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त कर सकता है परन्तु यदि पृथक् होने वाले साझेदार का फर्म में हित किसी साझेदार या साझेदारों द्वारा क्रय कर लिया जाता है, तो निवृत होने वाले साझेदार को या उसके उत्तराधिकारी को लाभों में हिस्सा प्राप्त करने या ब्याज प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है, जबकि उक्त डीड ऑफ पार्टनरशीप दिनांक 08.12.1988 में बाबुलाल के साझेदार के हिसाब–किताब का निपटारा किस आधार पर किया गया, यह भी स्पष्ट नहीं है, जो कि उक्त नियम के प्रावधानों का उल्लघंन है।

इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RSA No. 2922 of 2017 VINOD KRISHAN KHANNA AND OTHERS VS SIRI KRISHAN KHANNA (SINCE DECEASED) THROUGH LRS AND OTHERS के अनुसार Partnership Act, 1932-S.48- Whether remaining partners on death of a partnership can exclude legal heirs of deceased partnership from succeeding to his/her share in assets, properties of firm and profits earned from use of that property ?- Whether legal heir of a deceased partner are entitled to claim value representing share of deceased partner in immovable properties of firm on date of death of deceased partner irrespective of fact that surviving partners delayed disribution of property ?- Held, plaintiffs/heirs shall be entitled to rendition of accounts and entitnled to share in profit, if any, to the

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

extent of share of deceased partner in accordance with Section 37 of Act either by opting for share in profit of firm, if any, or 6% per annum interest on amount of share of deceased partner from the date of death till payment-Immovable properties including machines, stock etc. would either be physically divided by partitioning property or Executing Court would get value of entire property assessed and order payment to extent of 25% in favour of plaintiffs/legal heirs on date of such distribution-However, plaintiffs-appellants/ legal heirs not entitled to insist on physical division of property, if remaining partners, opt to continue with partnership particularly in view of clause 10 of partnership deed. तथा माननीय उच्च न्यायालय का अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2007(3) DNJ (Raj.) 1544 Prem Bai (Mst.) vs Kela Ram & Ors पेश किया जिसके अनुसार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 – धारा 8 व 10 – राजस्थान भू–राजस्व (भू अभिलेख) नियम, 1957– नियम 132– नामान्तरकरण – प्रार्थियां मृतक की एकमात्र पुत्री थी – मृतक भूमि का खातेदार काश्तकार था – पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थिया के नाम पर नामान्तरकरण खोला गया– प्रत्यर्थी ने उक्त नामान्तरकरण विरूद्ध यह कहते हुय अपील दायर की कि प्रार्थिया के पिता ने उसके पक्ष में वसीयत निष्पादित की – उपखण्ड अधिकारी ने मामला तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया – प्रार्थिया ने अपर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जिसने अपील स्वीकार कर ली तथा उपखण्ड अधिकारी के आदेश को अपास्त कर दिया – पुनरीक्षण में राजस्व बोर्ड ने उपखण्ड अधिकारी के आदेश को बहाल कर दिया – प्रार्थिया प्रथम वर्ग की विधिक उत्तराधिकारी है – नियम 131, 132 तथा वसीयत को यह अभिनिर्धारित करने का आधार नहीं बनाया जा सकता कि प्रार्थिया के पक्ष में किया गया गया नामान्तरकरण अवैध था –निर्णित, राजस्व बोर्ड का आदेश अपास्त किया तथा अपर संभागीय आयुक्त का आदेश बहाल किया। चूंकि डीड ऑफ पार्टनरशिप दिनांक 08.12.1988 में भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 60 से 63 में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, इसलिये उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट के कथनों को समर्थन देते है तथा प्रकरण पर हूबहू चस्पा होते है, जबकि अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त पारिवारिक समझौते के सम्बन्ध में है तथा हस्तगत प्रकरण में किसी फर्म में भागीदारों के मध्य किये गये समझौते का प्रश्न है, जैसा कि कम्पनी के मामलों में होता है। इसलिये अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त प्रकरण पर लागु नहीं होते है।

इसके अतिरिक्त जिस दस्तावेज को इस अपील के जरिये चुनौती दी गई है, वह विरासत के आधार पर दायर किया गया नामान्तरकरण है। अपीलाण्ट द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2.1 से 2.5.2, रेस्पोडेन्ट बाबूलाल के वारिशान है। चूंकि यह तथ्य अपीलाण्ट की स्वीकारोक्ति है, जिसके पश्चात किसी भी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता नहीं रहती है। जहां तक फर्म के भागीदारों के मध्य हुए विवाद का प्रश्न है, तो इस तथ्य के निर्धारण हेतु न्यायालय हाजा सक्षम अधिकारिता नहीं रखता है, इस हेतु अपीलाण्ट को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद के जरिये ही अपने अधिकारों की सुरक्षा हेतु समुचित पैरवी की जानी आवश्यक थी। इस मामले में अपीलाण्ट द्वारा

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

नामान्तरकरण अपील की आड में अधिकारों का सृजन करवाना चाहा है, जो विधि सम्मत नहीं है।

निष्कर्षतः उपरोक्त समस्त आधारों से यह सुस्पष्ट है कि श्री कुशल कृषि फर्म के भागीदार बाबुलाल के फौत हो जाने पर तहसीलदार सोजत ने, फर्म की रजिस्टर्ड पार्टनरशीप डीड दिनांक 07.10.1986 में वर्णित हिस्से जो कि राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज थे तथा उनके वारिसानों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 2727 दिनांक 18.01.2012 स्वीकृत किया है, जो तथ्यों के अनुरूप तथा विधिनुसार है, जिसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज़ की जाती है तथा तहसीलदार सोजत द्वारा ग्राम सोजत चक II के नामान्तरकरण संख्या 2727 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 18.01.2012 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली